ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण

प्लाट –01, सैक्टर–नॉलेज पार्क–IV, ग्रेटर नौएडा सिटी, जिला –गौतमबुद्व नगर (उ0प्र0)।
PHONE NO:- 0120-2336022
FAX NO :- 0120-2336021
Website:- www.greaternoidaauthority.in Email id:- authority@gnida.in

पत्रांक :–2695/ / वित्त / 2022–23 ग्रे0नौ0: दिनांक :– 18 /04 / 2022

महाप्रबन्धक (नियोजन / परियोजना / आवासीय सम्पत्ति / ग्रुप हाउसिंग),
विशेष कार्याधिकारी (आईटी0 / बिल्डर्स / कामर्शियल),
उप महाप्रबन्धक (उद्योग / 6 प्रतिशत आबादी / सिस्टम / कार्मिक),
उप महाप्रबन्धक (मार्केटिंग / स्वास्थ्य / अर्बन सर्विस),
डिप्टी कलैक्टर (भू–विभाग),
वरिष्ठ प्रबन्धक (उद्यान / एसेट),
उप विधि अधिकारी (विधि विभाग),
ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण।

जी0एस0टी0 काउंसिल द्वारा जारी ऑफिस मेमोरेन्डम दिनांक 20.12.2017 के द्वारा नौएडा प्राधिकरण को लोकल अर्थोरिटी के रूप में सहमति प्रदान की गयी है। चूँकि ग्रेटर नौएडा प्राधिकरण भी नौएडा प्राधिकरण की भॉति एक समान दर्जे (Status) का है। अतः ग्रेटर नौएडा प्राधिकरण भी सी0जी0एस0टी0 एक्ट, 2017 के अन्तर्गत लोकल प्राधिकरण की श्रेणी में आयेगा। जी0एस0टी0 कांउसिल द्वारा जारी मेमोरन्डम दिनांक 20.12.2017 एवं नोटिफिकेशन संख्या–3/2018 सेन्ट्रल टैक्स (रेट) दिनांक 25.01.2018 के सन्दर्भ में जी0एस0टी0 एक्ट के अन्तर्गत लोकल अर्थोरिटी के रूप में जी0एस0टी0 के प्रावधानो के अनुसार निम्नानुसार कार्यवाही की जानी अपेक्षित है:–

1. व्यक्तिगत नाम से आवंटित आवासीय भूखण्ड/भवन पर किसी भी प्रकार की सेवाओं पर जी0एस0टी0 देय नही है। Business entity जिनका वार्षिक टर्नओवर रू0 20.00 लाख से कम है, को आवंटित आवासीय भूखण्ड /भवन पर भू–प्रीमियम सहित समस्त सेवाओं पर नियमानुसार जी0एस0टी0 देय नही है।
2. समस्त प्रकार की पैनल्टी के रूप में ली जाने वाली धनराशि पर भी जी0एस0टी0 से छूट है।
3. Business entity जिनकी वार्षिकी टर्न ओवर रू0 20.00 लाख से कम है, उन पर दी जाने वाली सेवाओं पर भी जी0एस0टी0 में छूट दी गई है (लीज रेन्ट एवं भू–प्रीमियम को छोडकर) ।
4. प्राधिकरण द्वारा एक वर्ष में किसी को भी कुल रू0 5000.00 तक की दी जा रही सेवाओं पर भी जी0एस0टी0 में छूट प्रदान की गई है।
5. संस्थागत, वाणिज्यिक, ग्रुप हाउसिंग, औद्योगिक भूखण्ड हेतु आंवटित भूखण्डों पर दी जाने वाली समस्त सेवाओं पर नियमानुसार जी0एस0टी0 की देय राशि का भुगतान आवंटी द्वारा (Reverse Charge Mechanism by the recipient) किया जायेगा। जो आवंटी (Business Entity) जी0एस0टी0 में पंजीकृत नही है, उनको दी जा रही सुविधाओं के शुल्क के साथ जी0एस0टी0 की राशि भी जमा करायी जायेगी आवंटी को जारी किये जाने वाले पत्र में जी0एस0टी0 काउंसिल के नोटिफिकेशन संख्या–3/2018 दिनांक 25.01.2018 का सन्दर्भ देते हुए ग्रेटर नौएडा प्राधिकरण का जी0एस0टी0 नम्बर भी अंकित कर दें।
6. ग्रेटर नौएडा प्राधिकरण द्वारा Government /Govermental Authority /Government Entity को लीज पर भू,खण्ड आंवटित किया जाता है तो उन पर दी जाने वाली समस्त सुविधाओं पर जी0एस0टी0 में छूट दी गई है।
7. Right to information Act, 2005 (22 of 2005) के अन्तर्गत दी जाने वाली सुविधाओं पर जी0एस0टी0 में छूट दी गई है।

ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण

प्लाट –01, सैक्टर–नॉलेज पार्क–IV, ग्रेटर नौएडा सिटी, जिला –गौतमबुद्व नगर (उ0प्र0)।

PHONE NO:- 0120-2336022

FAX NO :- 0120-2336021

Website:- www.greaternoidaauthority.in Email id:- authority@gnida.in

पत्रांक :– /वित्त/2022–23 ग्रे0नौ0: दिनांक :– / /2022

8. व्यक्तिगत अधिवक्ता अथवा अधिवक्ताओं की साझेदारी फर्म Arbitral Tribunal द्वारा दी जा रही विधिक सेवाओं के परामर्श शुल्क पर भी जी0एस0टी0 में छूट दी गई है।
9. जिन अनुबन्ध/आपूर्ति आदेश में किसी भी प्रकार का सामान /Meterial की आपूर्ति लागत कुल अनुबन्ध /आपूर्ति की लागत की 25 प्रतिशत से अधिक नौएडा प्राधिकरण को नही दी जा रही है, उन अनुबन्धो /आपूर्ति आदेशो में सुविधान की धानरा 243 जी या Municipality under articles 243W के अन्तर्गत जी0एस0टी0 से छूट दी गई है।
10. Upfront amount received for industrial plots and plots for development of infrastructure for financial business would be exempt from GST.

(मोनिका चतुर्वेदी)
प्रभारी महाप्रबन्धक (वित्त)

प्रतिलिपिः–

1. निजी सचिव को, मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय के सूचनार्थ।
2. अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी (ए0एस/डी/ए) महोदय को सूचनार्थ।
3. उप महाप्रबन्धक (सिस्टम) को इस आशय के साथ कि सम्पत्ति विभाग के पैकेज में उपरोक्त के कम में आवश्यक कार्यवाही करने की व्यवस्था करने एवं बेव साईट पर भी अपलोड कराना सुनिश्चित करें।
4. मै0 सार्क एण्ड एसोसिएटस, डी–191, ओखला औद्योगिक एरिया फेस–1, दिल्ली –110020 के अवलोकनार्थ।
5. मै0 राव भारद्वाज एण्ड कं0 बी–10, प्रथम तल, आर0डी0एस0, राज नगर गाजियाबाद को अवलोकनार्थ।

प्रभारी महाप्रबन्धक (वित्त)